प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.04.2026

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.04.26 को वादी श्री जलालूदीन पुत्र स्व0 मुनफेद निवासी ग्राम महाराजपुर गाजियाबाद ने थाना लिंकरोड पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 18/19.04.2026 रात्रि समय करीब 12:00 बजे अपनी स्कारपियो गाडी से शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर आया था और मै अपने घर के बाहर रोड के किनारे खडा था तभी स्कूटी से तीन लोग 1.रियाज उर्फ बाबू पुत्र स्व हारुन 2.राहुल पुत्र अन्नू अली 3.माजिद पुत्र खालिद निवासी महाराजपुर जनपद गाजियाबाद आये और स्कूटी पर पीछे बैठे बाबू ने मुझ पर जान से मारने कि नियत से पिस्टल से फायर किया था जो पास में पार्किंग में खडी वैगनआर के पीछे से सीशे में गोली लगी मै बाल बाल बच गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 352/351(3)109(1) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.04.26 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे खाली मैदान के पास से 02 अभियुक्त 1.रियाज खान उर्फ बाबू पुत्र स्व हारुन निवासी म0न0 139 महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 2.अजीम खान उर्फ राहुल पुत्र अन्नू अली निवासी म0न0 183 बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित किया गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रियाज खान उर्फ बाबू उपरोक्त ने बताया कि पहले मेरी जलालुद्दीन व उसके पुत्र असद से पुरानी रर्जीश को लेकर कहासुनी हो गयी थी तो हम तभी से इसकी तलाश मे थे कल मै व अजीम खान उर्फ राहुल व मेरा दोस्त माजिद हम तीनो साथ अपनी स्विट गाडी से घूम रहे थे हमे पता चला था कि जलालुद्दीन अपनी स्कार्पियो गाडी से आ रहा है तो हमने महाराजपुर में छोटी मस्जिद के पास रोड पर उसकी गाडी मे टक्कर मार दी थी फिर उसने हमारी गाडी का पीछा भी किया था तथा फिर हम तीनो अपनी स्विट गाडी को लेकर भाग गये थे। यह पिस्टल मेरे घर मे रखी थी फिर हम तीनो कुछ समय बाद अपने घर से अपनी पिस्टल लेकर स्कूटी से आये जलालुद्दीन अपने परिवार के साथ अपने घर के पास के पास खडा था माजिद स्कूटी चला रहा था तथा बीच में राहुल बैठा था तथा मै सबसे पीछे बैठा था जब हम जलालुद्दीन के घर के पास पहुँचे तो मैने पिस्टल निकालकर जलालुद्दीन पर फायर कर दिया था फिर हम तीनो अपनी इस स्कूटी को लेकर वहां से भाग गये थे, और पुलिस के डर से छिप गये थे। पिस्टल के बारे में पूछने पर बताया कि वर्ष 2017 मे मेरे परिवार के कुछ लोगों ने मेरे पिता जी हत्या कर दी थी तो मै तभी से एक मुरादनगर के लडके से मै यह पिस्टल खरीदकर ले आया था तथा जिस लडके से मै पिस्टल लेकर आया था बाद मे उसकी सडक दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी थी, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रियाज खान उर्फ बाबू पुत्र स्व हारुन निवासी म0न0 139 महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

2. अजीम खान उर्फ राहुल पुत्र अन्नू अली निवासी म0न0 183 बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
3. माजिद पुत्र खालिद निवासी महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद (फरार)।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पिस्टल, 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे के अपहरण का प्रयास करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 19.04.2026 को वादी द्वारा सूचना दी गई कि मेरा बेटा उम्र करीब 08 वर्ष घर के बाहर रास्ते में खड़ा था तभी एक व्यक्ति मेरे बेटे को पकड़ने के लिए भागा तो मेरा बेटा घर के जीने से एकदम ऊपर की ओर चढा उसके साथ-साथ उपरोक्त व्यक्ति मेरे बेटे को किडनैप करने के लिए आया। मेरे बच्चे ने शोर मचा दिया तभी घर परिवार व मौहल्ला पड़ोस के लोगों ने घेर कर उपरोक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा 08 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त वीर सिंह चौधरी पुत्र प्रेम सिंह चौधरी निवासी घोड़ी बग्गी वाली कॉलोनी सिखेडा हजारी थाना निवाड़ी गाजियाबाद को हिरासत में लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137(2)/62 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं टॉफी देने के बहाने बच्चे का अपहरण करने को आया था जैसे ही मैंने बच्चे को टॉफी देने को हाथ बढाया तो बच्चे द्वारा डरकर शोर मचा दिया जिस कारण आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गये तथा मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वीर सिंह चौधरी पुत्र प्रेम सिंह चौधरी निवासी घोड़ी बग्गी वाली कॉलोनी सिखेडा हजारी थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया, कब्जे से .32 बोर की एक देशी पिस्टल, .315 बोर का एक देशी तमंचा व .315 बोर का एक खोखा कारतूस बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 09.04.2026 को वादिनी श्रीमती शीतल चौहान पत्नी जितेन्द्र चौहान निवासी- बम्हैटा ओम गेट, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पति जितेन्द्र चौहान की गोली मारकर हत्या कर देने तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नाले में फेंक देने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.04.2026 को महागुन सोसायटी के पीछे वाले कच्चे रास्ते पर चौकी औद्योगिक क्षेत्र से प्रकाश में आये निम्नलिखित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को ओम गेट के सामने सर्विस रोड (चौकी औद्योगिक क्षेत्र) से संरक्षण मे लिया गया:

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

1. **गौरव** पुत्र वीरेन्द्र, निवासी ग्राम छलेशर, थाना गोदा, जिला अलीगढ़। (हाल पता: ओम गेट के पास, ग्राम बम्हैटा, थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद), उम्र- 22 वर्ष।
2. **बॉबी** पुत्र बदन पाल, मूल पता: ग्राम हाजीपुर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़। (हाल पता: ओम गेट के पास, ग्राम बम्हैटा, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद), उम्र- 38 वर्ष।
3. **विशान्त** पुत्र बॉबी, मूल पता: ग्राम हाजीपुर, थाना सिम्भावली, जिला हापुड़। (हाल पता: ओम गेट के पास, ग्राम बम्हैटा, थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद), उम्र- 19 वर्ष।
4. **एक बाल अपचारी**

आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव ने पूछताछ में बताया कि, "साहब! जितेन्द्र उर्फ कालू मेरा फुफेरा भाई था, जिसने मेरी बहन के साथ गलत सम्बन्ध बनाने की नीयत से जबरदस्ती उस पर हमला किया था तथा मेरी माता के साथ भी यही प्रयत्न किया था। मेरे द्वारा विरोध करने पर जितेन्द्र ने मेरे साथ मारपीट की थी। जितेन्द्र उर्फ कालू ने एक बार जागरण कराया था, वहां पर भी उसने मेरे साथ मारपीट की व मुझे बेइज्जत किया था, जिससे मैं काफी दिनों से उसे निपटाने (मारने) की फिराक में था। फिर मुझे पता

चला कि जितेन्द्र ने अपने भांजे विशान्त की पत्नी के साथ भी गलत सम्बन्ध बनाने के लिये जबरदस्ती की थी। इस बात से विशान्त, उसका पिता बॉबी व विशान्त का भाई भी काफी परेशान व गुस्से में थे।

हम चारों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि जितेन्द्र उर्फ कालू हमारे परिवारों के साथ इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा, इसलिए इसे मारना होगा। हमने 7/8 फरवरी 2026 को भी जितेन्द्र को मारने का प्लान बनाया था, तब जब वह स्कूटी से जा रहा था, हमने उस पर गोली चलाई थी लेकिन उसे गोली लगी नहीं और वह बच गया।

फिर हम चारों दिनांक 09.04.2026 को जितेन्द्र को मारने के लिये इकट्ठे हुए। प्लान के मुताबिक विशान्त को डायमण्ड फ्लाई ओवर के पास लिटा दिया गया और विशान्त के भाई ने जितेन्द्र उर्फ कालू को फोन कर वहाँ यह कहकर बुलाया कि 'मामा, विशान्त दारू पीकर पड़ा है, आप जल्दी आ जाओ।' कुछ देर बाद ही जितेन्द्र वहाँ आ गया। जैसे ही जितेन्द्र ने विशान्त को उठाने की कोशिश की, तभी विशान्त ने अपने हाथ में रखी पिसी हुई लाल मिर्च उसकी आँखों में झोंक दी। जितेन्द्र मिर्च लगने के कारण तिलमिलाने लगा, तभी मौके का फायदा उठाकर मैंने पिस्टल से जितेन्द्र को दो-तीन गोलियां मारीं। दो गोली जितेन्द्र को लगीं, जिससे वह लड़खड़ाकर नाले में गिर गया। जितेन्द्र नाले से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर बॉबी ने तमंचे से तीन गोलियां मारीं ।

उसके बाद हम चारों मौके से भाग गये। भागते समय रास्ते में औद्योगिक क्षेत्र की झाड़ियों में हमने पिस्टल व तमंचे को छिपाकर रख दिया था और जितेन्द्र का मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिया था। पिस्टल व तमंचा हमने आपको बरामद करा दिया है। अन्य अभियुक्तों ने भी अभियुक्त गौरव की बात का समर्थन किया।

बरामदगी:

.32 बोर की एक देशी पिस्टल
.315 बोर का एक देशी तमंचा
.315 बोर का एक खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. स्वाट टीम नगर जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. पुलिस टीम थाना कविनगर, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 78 पुडिया स्मैक कुल वजन 6.24 ग्राम व कुल 7800 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.4.2026 को थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाला 01 अभियुक्त आसिफ पुत्र कमरे आलम निवासी मदरसे वाली गली विक्रम एन्केलव थाना शालीमार गार्डन कमि0 गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष 78 पुडिया स्मैक कुल वजन 6.24 ग्राम व कुल 7800 रूपये सहित तिकौना पार्क वाली गली बंगाली कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब मैं यह स्मैक दिल्ली से किसी अज्ञात व्यक्ति से जिसका मैं नाम पता नहीं जानता उससे लाता हूँ और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटी-छोटी पुडिया बनाकर गाजियाबाद ,न्यू सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली के आसपास नशा करने वाले लोगो को बेचता हूँ। आज मैं स्मैक बेचने के लिए ही जा रहा था कि पुलिस द्वारा चैकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र कमरे आलम निवासी मदरसे वाली गली विक्रम एन्केलव थाना शालीमार गार्डन कमि0 गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

78 पुडिया स्मैक कुल वजन 6.24 ग्राम व कुल 7800 रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अर्टिका कार चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर स्कूटी में टक्कर मारने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अर्टिगा गाडी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.04.2026 को वादी श्री रामकृष्ण यादव पुत्र चुमित यादव निवासी वसुंधरा ने थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरा बेटा अपने अन्य दोस्तो के साथ स्कूटी से कनावनी की तरफ जा रहे थे इसी दौरान सामने से आ रही एक अर्टिका कार न0 UP14QT 7860 ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार सभी बच्चे घायल हो गये जिन्हे तत्काल इलाज हेतु लिक्रास्ट अस्पताल वसुंधरा सेक्टर 4 में भर्ती कराया गया जहा डाक्टरों द्वारा साकिब पुत्र शमशाद निवासी कनावनी आयु लगभग 10 वर्ष को मृत घोषित कर दिया तथा अन्य घायल बच्चे अंश आयु 14 वर्ष, गोलू आयु 11 वर्ष , सत्यम उम्र 11 वर्ष की हालत गम्भीर है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा धारा 281/125बी/106 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस गश्त के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त शाहिल पुत्र अंजुम परवेश नि0 राजा मस्जिद के पास पानी फिल्टर के सामने इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं रैपिडो में ड्राइवर हूँ दिनांक 19.04.2026 को मैं अपनी राइड लेकर कनावनी पुस्ता रोड से जा रहा था तभी पीर मंदिर के पास मेरी कार अचानक अनियंत्रित हो गई जिसे मैने काफी नियंत्रित करने की कोशिश करी परन्तु मेरी गाडी की स्पीड काफी होने के कारण सामने से आ रही एक स्कूटी में टक्कर लग गयी जिसमें 04 लोग थे जिनके काफी चोट आयी थी। वहॉ काफी संख्या में भीड़ इक्कठी हो जाने से मैं डर के भाग गया था। साहब मुझसे गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहिल पुत्र अंजुम परवेश नि0 राजा मस्जिद के पास पानी फिल्टर के सामने इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिल के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त घटना के सम्बंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।